

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजीगत प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

पद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 पर स्तंभ 4		स्तंभ 3 पर स्तंभ 4		स्तंभ 4 पर स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी प्राप्तियां (से 10)	1,41,987	1,75,306	1,86,201	2,25,114	44,213	31.1	10,894	6.2	38,914	20.9
1. आंतरिक ऋण *	94,643	1,22,535	1,40,594	1,66,845	45,951	48.6	18,059	14.7	26,251	18.7
जिसमें से:										
(i) बाजार ऋण (सकल)	66,513	76,027	1,12,805	1,29,005	46,293	69.6	36,779	48.4	16,200	14.4
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	11,094	29,484	10,204	18,882	-890	-8.0	-19,280	-65.4	8,677	85.0
2. केंद्र से ऋण @	7,252	15,348	9,786	17,284	2,535	35.0	-5,562	-36.2	7,498	76.6
3. ऋण और अग्रिम की वसूली	7,770	5,172	11,568	4,609	3,798	48.9	6,397	123.7	-6,960	-60.2
4. अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि (निवल)	12,338	13,001	14,602	21,617	2,264	18.3	1,601	12.3	7,015	48.0
5. आकस्मिकता निधि (निवल)	549	165	207	200	-341	-62.2	42	25.6	-7	-3.5
6. आरक्षित निधियां (निवल) **	-5923	1,203	2,028	2,554	7,951	-134.2	825	68.6	526	25.9
7. जमा और अग्रिम (निवल) ***	13,581	4,813	5,665	9,354	-7,916	-58.3	852	17.7	3,690	65.1
8. आकस्मिक निधि में विनियोजन (निवल)	-170	-165	-415	-	-245	144.1	-250	151.5	415	-100.0
9. विप्रेषण (निवल)	1,254	85	130	3	-1,124	-89.6	44	52.0	-127	-98.0
10. अन्य #	10,693	13,149	2,035	2,649	-8,658	-81.0	-11,114	-84.5	614	30.2

₹ : नगण्य / शून्य.

* : इसमें बाजार ऋण, एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां, भूमि मुआवजा बांड, नकदी ऋण तथा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण (निवल), और नाबाई की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामीणोद्योग आयोग, आदि से प्राप्त ऋण शामिल हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधिप्राप्य अग्रिम और ओवरड्राफ्ट शामिल नहीं हैं।

@ : 1999-2000 से प्रभावी लेखांकन की व्यवस्था में परिवर्तन के साथ, अल्प बचतों में राज्यों की हिस्सेदारी, जिसे पहले केंद्र से ऋण के तहत शामिल किया गया था, को आंतरिक ऋण के तहत शामिल किया गया है और केंद्र सरकार के एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया गया है।

** : आरक्षित निधि (निवल) में व्याजवाही आरक्षित निधियां (सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधियों की तरह) तथा गैर व्याजवाही आरक्षित निधियां (जैसे ऋणशोधन निधि, अकाल राहत कोष तथा सड़क और पुल निधि) शामिल हैं।

*** : जमा और अग्रिम (निवल) में व्याजवाही जमा (जैसे स्थानीय निधियों की जमा राशियां) तथा गैर व्याजवाही जमा (जैसे रक्षा और डाक जमा और नागरिक अग्रिम) शामिल हैं।

: इसमें उचित और विविध (निवल) और अन्तरराज्यीय निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

नोट : 1. जम्मू और कश्मीर और चारखंड के संबंध में वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. पूंजी प्राप्ति में शुद्ध आधार पर लोक लेखा शामिल हैं। इसके अलावा परिशिष्टों की टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।